न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 121 / 2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2019 / 00038
दायर दिनांक :– 28.05.2019 **निर्णय दिनांक :–** 12.02.2025

1. भंवरीदेवी पुत्री मालाराम जाति विशनोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. लाछी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. शंकरी पुत्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मलाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम कानासर के मूल निवासी है तथा प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1की पुत्री है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज प्रहलादराम पुत्र नराराम के खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1053 रकबा 0–10 बीघा व खसरा नम्बर 1054 रकबा 73–19 बीधा कुल रकबा 74–09 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई है जो भूमि वक्त बंदोबस्त प्रार्थीया के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम पुत्र नाराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई उपरोक्त वर्णित जायदाद कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि है। प्रार्थीया के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम का देहान्त होने पर इस पद में वर्णित भूमि जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण से अप्रार्थी संख्या 1 मालाराम पुत्र प्रहलादराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम का दुरूप्योग कर प्रार्थीया के हिस्से की ाूमि को आगे बेचान हस्तान्तरण कर देने से और प्रार्थीया को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर देने से

12/2/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

12/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)